

23.06.2026

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी रणजीत सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार बगवाडी एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 54ख पेश कर कथन किया कि आज अपीलार्थी अनुपस्थित है। अपीलार्थी की हाजिरी माफी जरिए अधिवक्ता प्रदान की जाए तथा आज बहस की तैयारी नहीं हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.07.2026 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चमोली।